न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 32/2022

अनवान :

1. दर्शना पुत्र काशीराम पत्नी दलवीरसिंह जाति जाट निवासी गालड़ त0 राजगढ़ जिला चुरू हाल निवासी डोभी जिला हिसार।

:– वादी

ब ना म

1. जगदीश पि0मु0 दुदाराम जाति जाट निवासी गालड़ त0 राजगढ़ जिला चुरू।
2. सुरेन्द्र पि0मु0 बनवारी जाति जाट निवासी गालड़ त0 राजगढ़ जिला चुरू।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 175/40 के खसरा सं0 272/962 की 3.048है0 में काशीराम पुत्र मामचन्द के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 1/4 हिस्सा भूमि की वादिया दर्शना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.03.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 32/2022

अनवान :

1. दर्शना पुत्री काशीराम पत्नी दलबीरसिंह जाति जाट निवासी गालड़ त0 राजगढ़ जिला चुरू हाल निवासी डोभी जिला हिसार।

:– वादी

ब ना म

1. जगदीश पि0मु0 दुदाराम जाति जाट निवासी गालड़ त0 राजगढ़ जिला चुरू।
2. सुरेन्द्र पि0मु0 बनवारी जाति जाट निवासी गालड़ त0 राजगढ़ जिला चुरू।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादी**

सरजीत बिजारणियां : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 30.03.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 175/40 के खसरा सं 272/962 की 3.048है0 बारानी में वादिया के पिता काशीराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादिया के पिता काशीराम का देहान्त हो गया है वादिया के दो भाई प्रतिवादी सं0 1 जगदीश अपने चाचा दुदाराम के गोद चला गया व प्रतिवादी सं0 2 सुरेन्द्र अपने चाचा बनवारी के काशीराम के जीवनकाल में ही गोद चला गया। वादी के तिसरे भाई बलवन्त का लावल्द देहान्त हो चुका है। वादिया के पिता का देहान्त होने पर वादिया के पिता के नाम दर्ज उक्त खातेदारी वादिया को विरासतन में मिली है परन्तु अभी वादिया के नाम विरासतन में दर्ज नहीं हुई है। इसलिये वादिया को काशीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादिया व प्रतिवादी सं0 1 व 2 आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। राजीनाम पेश किये जाने के बाद तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाये गये।

साक्ष्य वादी में दर्शना पुत्री काशीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी रोही शेरड़ा संवत 2075–78 प्रदर्श 1, गोदनाम सुरेन्द्र प्रदर्श 2, गोदनाम जगदीश प्रदर्श 3, मृत्यु प्रमाण पत्र काशीराम प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि में 1/4 हिस्सा वादिया के पिता काशीराम के नाम दर्ज है। काशीराम का देहान्त होने पर उसकी एक मात्र वारिस वादिया है। इसलिये वादभूमि में काशीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि की वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने वाद भूमि की जमाबंदी, गोदनाम, मृत्यु प्रमाण पत्र काशीराम प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। इस प्रकार वाद वादी स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादिया साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 175/40 के खसरा सं0 272/962 की 3.048है0 में काशीराम पुत्र मामचन्द के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 1/4 हिस्सा भूमि की वादिया दर्शना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner